राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 18478/2011

माहेश्वरी पब्लिक स्कूल मानद सचिव किशन दास माहेश्वरी पुत्र श्री गोपाल दास झंवर, उम्र लगभग 50 वर्ष, वर्तमान में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान) की प्रबंध समिति के मानद सचिव के रूप में कार्यरत, के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक न्यायाधिकरण, जयपुर राजस्थान, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर (राजस्थान)।
2. सुश्री मधु सोनी पुत्री श्री बी.के. सोनी, उम्र 42 वर्ष, निवासी जे-25, श्याम भवन, शांति मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर, (राजस्थान)।
3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अध्यक्ष, केंद्र-2, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092 के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शैलेश प्रकाश शर्मा, श्री विश्वाश शर्मा के साथ
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	श्री डी.पी. शर्मा

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	21/04/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	03/05/2023

रिपोर्टेबल

निर्णय

(1) वर्तमान याचिका राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") द्वारा अपील संख्या 01/2005 में पारित निर्णय दिनांक 10.8.2011 से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या द्वारा अपील दायर की गई है।

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 (संक्षेप में "1989 का अधिनियम") की धारा 19 के तहत 2 की अनुमति दी गई है और उसके दिनांक 27.9.2004 के बर्खास्तगी आदेश को अपास्त कर दिया गया है और याचिकाकर्ता संस्थान को प्रत्यर्थी को वापस सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

(2) मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को 4.4.1996 से गणित में प्राथमिक शिक्षक के पद पर 2.4.1996 से नियुक्त किया गया था। को याचिकाकर्ता संस्थान ने उसे आदेश दिनांक 27.9.2004 द्वारा सेवा से हटा दिया और छह महीने के नोटिस के बदले में उसे छह महीने का वेतन रु. 62,394/- का भुगतान किया गया।

(3) अपने निष्कासन के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि उसे 1989 के अधिनियम की धारा 18 और राजस्थान के गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान नियम, 1993 (संक्षेप में "1993 के नियम")। नियम 39 के तहत निहित प्रावधानों के उल्लंघन में सेवा से हटा दिया गया था। ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील दी गई कि बिना कोई जांच किए और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, उसे अपनी कक्षा के छात्रों की पिटाई के विभिन्न आरोपों के कारण सेवा से हटा दिया गया। यह दलील दी गई कि उनका निष्कासन आदेश कलंकपूर्ण था और शिक्षा निदेशक की सहमति या अनुमोदन के बिना दिनांक 27.9.2004 को विवादित आदेश पारित किया गया था। यह भी दलील दी गई कि उसे छह महीने का पूरा वेतन नहीं दिया गया और कानून के अनिवार्य प्रावधानों के विरूद्ध विवादित आदेश पारित किया गया।

(4) इसके विपरीत, उत्तर में याचिकाकर्ता का रुख यह था कि प्रत्यर्थी ने पहली कक्षा के एक छात्र को बेरहमी से पीटा और खबर अखबार में प्रकाशित हुई। प्रत्यर्थी को अपनी कक्षा के छात्रों को पीटने की आदत थी और उसे पहले भी ऐसे कृत्यों के लिए चेतावनी दी गई थी। इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र और स्कूल हित में उसे नौकरी से हटाने का निर्णय लिया। अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुपालन में उन्हें नोटिस के एवज में छह माह का वेतन भुगतान किया गया।

(5) दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल ने अभिनिर्धारित किया कि निष्कासन

आदेश कलंकपूर्ण था और उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और उसके विरूद्ध कोई जांच नहीं की गई और उसे छह महीने का पूरा वेतन नहीं दिया गया और निष्कासन किया गया। आदेश 1989 के अधिनियम की धारा 18(iii) और 1993 के नियमों के नियम 39(2)(एच)(iii) के उल्लंघन में पारित किया गया था। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 27.9.2004 को हटाए गए निष्कासन आदेश को अपास्त कर दिया और याचिकाकर्ता संस्थान को दिनांक 10.8.2011 के निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में वापस लेने के लिए निर्देश दिया।

(6) दिनांक 10.8.2011 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1989 के अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों का पालन करने के बाद, प्रत्यर्थी को हटाने का आदेश पारित किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी को छात्रों को पीटने की आदत थी और उसे कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला और उसके ऐसे कृत्य से स्कूल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ा, इसलिए स्कूल प्रबंधन ने उसे नोटिस के एवज में छह माह का वेतन भुगतान करने के बाद सेवा से हटाने का निर्णय लिया। अधिवक्ता का कहना है कि निष्कासन आदेश कलंकात्मक नहीं था, इसलिए उसे नोटिस जारी करने के बाद कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्यर्थी को 1989 के अधिनियम की धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित पूर्ण वेतन का भुगतान किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा निदेशक की सहमति या पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी और दिनांक 27.9.2004 को हटाने का आदेश सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी को अगली तारीख अर्थात 28.9.2004 को सूचित किया गया था। इसलिए, 1989 के अधिनियम की धारा 18 के तहत निहित प्रावधानों का विधिवत पालन किया गया था, लेकिन इन पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए, ट्रिब्यूनल ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और निष्कासन आदेश को अपास्त कर दिया। अधिवक्ता का कहना है कि सेवा से हटाने के बाद प्रत्यर्थी को 11.9.2006 को जयपुर स्कूल, जयपुर में नियुक्ति मिली और उसे 2.4.2022 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, इसलिए वह रोजगार में थी क्योंकि उसका निष्कासन आदेश कलंकपूर्ण नहीं था।

अधिवक्ता का कहना है कि ट्रिब्यूनल द्वारा 10.8.2011 को आक्षेपित निर्णय पारित किया गया था और इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था और तब भी प्रत्यर्थी ने 10.8.2011 के निर्णय के निष्पादन के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था, जो इंगित करता है कि प्रत्यर्थी दूसरे स्कूल में कार्यरत था। अधिवक्ता का कहना है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी या सहमति की आवश्यकता नहीं थी। केवल सूचना देने की आवश्यकता थी और वह 28.9.2004 को जिला शिक्षा अधिकारी को दे दी गई। अधिवक्ता का कहना है कि ऊपर दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 10.8.2011 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया जाए।

(8) इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि बिना कोई जांच किए और सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, निदेशक की पूर्व मंजूरी या सहमति के बिना कलंक हटाने का आदेश पारित किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता शिक्षा संस्थान द्वारा 1989 के अधिनियम की धारा 18 और 1993 के नियमों के नियम 39 का उल्लंघन करते हुए निष्कासन आदेश पारित किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि उसे छह महीने का पूरा वेतन नहीं दिया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि ट्रिब्यूनल के रिकॉर्ड पर और इस न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि प्रत्यर्थी की नियुक्ति और हुई थी। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

(i) गजानंद शर्मा बनाम आदर्श शिक्षा परिषद समिति
AIR 2023 SC 539

(ii) मारवाड़ी बालिका विद्यालय बनाम आशा श्रीवास्तव
(2020) 14 एससीसी 449

(iii) राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक (2016) 6 एससीसी 541

(iv) मोंटफोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधन समिति बनाम श्री विजय कुमार (2005) 7 एससीसी 472

(v) दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सतवेंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कलकत्ता (1999) 3 एससीसी 60

(vi) प्रबंधन समिति बनाम असमान राठौड़ खंडपीठ विशेष अपील (रिट) 644/2019 का निर्णय 30.5.2019 को हुआ

(vii) सेंट्रल एकेडमी सोसायटी बनाम राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान ट्रिब्यूनल (2010) 3 डब्ल्यूएलसी 21.

(viii) <u>प्रबंध समिति बनाम श्रीमती पुष्पा शर्मा</u> (2006) 3 डब्लूएलसी 504

अधिवक्ता का कहना है कि ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(9) बार में दी गई दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(10) इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले कि क्या 1989 के अधिनियम की धारा 18(iii) और 1993 के नियमों के नियम 39(2)(ज)(iii) के तहत प्रावधानों का याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा पालन किया गया था या नहीं, यहां प्रावधानों को उद्धृत करना फायदेमंद होगा, जो इस प्रकार है:-

<u>"1989 के अधिनियम की धारा 18</u>

कर्मचारियों को हटाना, बर्खास्त करना या रैंक में कमी करना- इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को तब तक हटाया, बर्खास्त नहीं किया जाएगा या रैंक में कमी नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रबंधन द्वारा उचित अवसर न दिया गया हो अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध न सुना गया हो:

बशर्ते कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त न कर ली गई हो:

(i) xxx xxx xxx xxx

(ii) xxx xxx xxx xxx

(iii) जहां प्रबंध समिति की सर्वसम्मत राय है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं को संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी नहीं रखा जा सकता है, ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसे छह महीने का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के बाद बर्खास्त कर दी जाती हैं। शिक्षा निदेशक की सहमति लिखित रूप में ली गई है।"

"1993 के नियमों का नियम 39

सेवा से निष्कासन या बर्खास्तगी-

(1) xxx xxx xxx xxx

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी को अवज्ञा, अक्षमता, कर्तव्य की उपेक्षा, कदाचार या किसी अन्य आधार पर सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जा सकता है जो

कर्मचारी की आगे भी सेवा में बने रहने अनुपयुक्त बनाता है। लेकिन किसी कर्मचारी को हटाने या बर्खास्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) से (छ) xxx xxx xxx

(ज) उप-खंड (छ) में उल्लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ऊपर, प्रबंध समिति जैसा भी मामला हो, निष्कासन या बर्खास्तगी का उचित आदेश जारी कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित कर्मचारी और शिक्षा निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को भेज सकती है:

बशर्ते कि इस नियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:-

(ii) xxx xxx xxx xxx

(iii) xxx xxx xxx xxx

(iii) जहां प्रबंध समिति की सर्वसम्मत राय है कि, किसी कर्मचारी की सेवाओं को संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी नहीं रखा जा सकता है, ऐसे कर्मचारी की सेवा उसे छह महीने का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के बाद बर्खास्त कर दी जाती है। शिक्षा निदेशक की सहमति लिखित रूप में ली गई है."

(11) 1989 के अधिनियम की धारा 18(iii) और 1993 के नियमों के नियम 39(2)(ज)(iii) का अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी कर्मचारी को हटाने से पहले, प्रबंध समिति को छह महीने का समय देना होता है। उसके बदले में नोटिस या वेतन और शिक्षा निदेशक की सहमति लिखित रूप में प्राप्त की जानी आवश्यक है। लेकिन, यहां मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता संस्थान ने 27.9.2004 को प्रत्यर्थी को हटा दिया और यह सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी, जिन्होंने 15.12.2004 के पत्र के माध्यम से इसे याचिकाकर्ता को वापस लौटा दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता संस्थान स्कूल शिक्षा बोर्ड केंद्र से संबद्ध है।

(12) अब इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि "क्या केवल प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी के बारे में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना/सूचना भेजना, 1989 के अधिनियम की धारा 18 और 1993 के नियमों के नियम 39 का पर्याप्त अनुपालन है"?

(13) शुरुआत में, यहां यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि पार्टियां 1989 के अधिनियम द्वारा शासित होती हैं। 1989 के अधिनियम की धारा 18 में प्रावधान है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं

जाएगा। जब तक उसे प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक उसे बर्खास्त नहीं जाएगा या रैंक में कटौती नहीं की जाएगी और इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति न मिल जाए। यह निमित्त प्राप्त कर लिया गया है। ट्रिब्यूनल ने 1989 के अधिनियम की धारा 18 और 1993 के नियमों के नियम 39 के अनुपालन के अभाव में बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त कर दिया है, क्योंकि प्रत्यर्थी की सेवाओं को बर्खास्त करने से पहले, शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(14) माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक (सुप्रा.) के मामले में, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "डीएसई अधिनियम") की धारा 8 के तहत सममूल्य प्रावधान से निपटते हुए, और *टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक सरकार* (2002) 8 एससीसी 481 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के मामले में, किसी कर्मचारी की सेवाओं को बर्खास्त करने से पहले शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्णय [राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक (सुप्रा.) पर माननीय न्यायालय ने मारवाड़ी बालिका विद्यालय बनाम आशा श्रीवास्तव (सुप्रा.) के मामले में विचार किया था, और दायरा और उद्देश्य डीएसई अधिनियम की धारा 8 की चर्चा पैरा 13 और 14 में इस प्रकार की गई:-

> "13. राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक एवं अन्य (सुप्रा.) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8(2) कर्मचारी के पक्ष में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बर्खास्तगी का आदेश मनमानी से बचने के लिए शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना पारित नहीं किया जाता है। यहां तक कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी की भी अनुचित बर्खास्तगी। इसके अलावा, इस न्यायालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उद्देश्यों और कारणों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना एक निजी स्कूल के ड्राइवर की सेवा बर्खास्त करना कानूनन गलत था। इस न्यायालय ने कहा:
>
> > *45. हम प्रत्यर्थी स्कूल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। डीएसई*

अधिनियम की धारा 8(2) एक कर्मचारी के पक्ष में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बर्खास्तगी या बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया जाता है। यह किसी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी की मनमानी या अनुचित बर्खास्तगी या बर्खास्तगी से बचने के लिए है।

14. इस न्यायालय ने राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक और अन्य (सुप्रा.) में निर्धारित किया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, 'डीएसई') को लागू करते समय विधायिका का इरादा स्कूल के कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना और उनके रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करना था। जबकि सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, वही इन संस्थानों के कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानियों के प्रावधान की भी आवश्यकता है। डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) एक ऐसा एहतियाती उपाय है जिसका पालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रबंधन के हाथों अनुचित व्यवहार का सामना न करना पड़े।

(14.1) 1989 के अधिनियम की धारा 18 की सही व्याख्या करते हुए, हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गजानंद शर्मा बनाम आदर्श शिक्षा परिषद समिति (सुप्रा.) के मामले में पैरा 5.5, 5.6 और 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"5.5. अधिनियम, 1989 की धारा 18 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर भी, हमारी राय है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में शिक्षा निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। धारा 18 में, अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बाद या अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बिना भी बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी के बीच कोई अंतर नहीं है। कानून की तय स्थिति के अनुसार क़ानून के प्रावधानों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं। कुछ भी जोड़ने या हटाने योग्य नहीं है। इस्तेमाल किए गए शब्द हैं "किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को बिना किसी जांच के हटाया नहीं जाएगा और इसमें आगे प्रावधान है कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो जाए।" धारा 18 का पहला भाग पहले परन्तुक के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में, यह विपरीत दृष्टिकोण रखना कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी/हटाने के मामले में, जिसमें विभागीय जांच के बाद शिक्षा निदेशक की पूर्वानुमति की

आवश्यकता नहीं है, टिकाऊ नहीं है और उस हद तक निर्णय सेंट्रल एकेडमी सोसायटी (सुप्रा.) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी बेंच का निर्णय अच्छा कानून नहीं है।

5.6. इसलिए, अधिनियम, 1989 की धारा 18 की सही व्याख्या पर, यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि विभागीय जांच/कार्यवाही के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में भी शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है जिसे अधिनियम, 1989 की धारा 18 के प्रथम प्रावधान के अनुसार प्राप्त किया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और यहां ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जो कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना था, बर्खास्तगी के आदेश को बहाल करने के योग्य है। अपास्त कर दिया गया है है और तदनुसार अपास्त कर दिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि की गई बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करने वाले विद्वान न्यायाधिकरण के आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है..."

(14.2) यहां उपरोक्त मामलों की श्रृंखला में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की आधिकारिक घोषणा से यह स्पष्ट है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में, शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत, अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, क़ानून के प्रावधानों को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसे वे हैं। कुछ भी जोड़ने या हटाने की आवश्यकता नहीं है। यहां मौजूदा मामले में, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी/हटाने का आदेश पारित करते समय शिक्षा निदेशक या उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति की सहमति नहीं ली गई थी। याचिकाकर्ता संस्था ने दिनांक 27.9.2004 को हटाने का आक्षेपित आदेश पारित कर इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 28.9.2004 को भेज दी तथा धारा 18 खंड के शासनादेश के अनुसार आज तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई सहमति नहीं दी गयी है।

(iii) 1989 के अधिनियम और 1993 के नियमों के नियम 39 केवल सूचना/सूचना भेजना उपरोक्त प्रावधानों के आदेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने 27.9.2004 के बर्खास्तगी आदेश को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

(15) चूंकि, इस न्यायालय का मानना है कि प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी का आदेश उपरोक्त प्रावधानों के आदेश के अनुसार पारित नहीं किया गया है, न्यायालय किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए अन्य आपत्तियों और मुद्दों पर निर्णय नहीं कर रही है।

(16) ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

(17) स्थगन आवेदन और सभी आवेदन, यदि कोई हों, तो भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(18) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

(अनूप कुमार ढंड) न्यायमूर्ति

db/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।